समाहरणालय--लखीसराय

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक 120 */आ0प्र0, दिनांक* 4.7.17

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– अल्पसूचित पुनर्निविदा का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संभावित बाढ़ 2017 के लिए राहत सामग्रियों का क्रय हेतु संलग्न अल्पसूचित पुनर्निविदा के आमंत्रण के सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशन कराने की कृपा की जाय, ताकि संभावित बाढ़ के समय किसी प्रकार का वाधा उत्पन्न नहीं हो सके। निविदा के प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ अल्पकालीन निविदा की सूचना पॉच प्रति में एवं सी0डी0 संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

4/7/17

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

4.7.17

ज्ञापांक 120 */आ0प्र0, दिनांक* 4.7.17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जमुई/शेखपुरा/बेगूसराय/खगड़िया/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने–अपने जिला में निविदा की सूचना प्रचार–प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को बेवसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

4/7/17

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

4.7.17

समाहरणालय–लखीसराय

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

आपदा प्रबंधन विाग बिहार, पटना के निदेशानुसार वर्ष–2017 बाढ़ पूर्व तैयारियों के आलोक में संभावित बाढ़ 2017 के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्रियों की आवश्यकता को देखते हुए निम्नांकित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मो/प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक–02.06.2017 को 03.00 बजे अपराह्न तक मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की गई थी, किन्तु कोई भी निविदादाता निविदा नहीं दे सके। पुनः राहत सामग्रियों की आवश्यकताओं को देखते हुए दिनांक–10.07.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक पुनर्निविदा आमंत्रण की तिथि एवं समय निर्धारित की जाती है। पुनर्निविदा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। यदि उक्त तिथि को निविदा प्राप्त नहीं होने पर अगली तिथि 15.07. 2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक पुनर्निविदा आमंत्रण की तिथि एवं समय निर्धारित की जाती है। पुनर्निविदा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। पुनर्निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	2	3	4	5
1	दिया सलाई	मंझोला साईज	दर प्रति पैकेट (12) सं0	आवश्यकतानुसार
2	मोमबत्ती	लम्बाई 8.5 इंच, गोलाई 2.5 इंच		आवश्यकतानुसार
3	चुड़ा	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
4	गुड़	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
5	आयोडीन नमक	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
6	चना	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
7	आटा	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
8	चीनी	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
9	सत्तु चना का	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
10	प्लास्टिक थैला	5 किलो एवं 2.5 किलो	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
11	चावल	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
12	दाल (अरहर,चना,मूंग,मसूर)	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
13	सरसो तैल (ब्राण्डेड)	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
14	मसाला– जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनियॉं, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
15	आलू/प्याज	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
16	जनरेटर भाड़े पर इंधन/ऑपरेटर सहित 5 के0वी0, 10 के0वी0	प्रति दिन 8 घंटा चलने के आधार पर राहत शिविर तक पहूँचाकर		आवश्यकतानुसार
17	सभी प्रकार के जेनरेटर से जलने वाले लाईट (भाड़े पर/20W एवं उपर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
18	पेट्रोमेक्स	प्रत्येक दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
19	वाटरप्रूफ टेन्ट/पंडाल (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से मजदूर सहित		आवश्यकतानुसार
20	खाना बनाने/परोसने/पानी पिलाने का सभी प्रकार का बर्तन (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से (एक रसोईया एवं चार मजदूर सहित)		आवश्यकतानुसार
21	जलावन की लकड़ी सुखी हुई	प्रति क्वींटल		आवश्यकतानुसार
22	खाना बनाने का गैस चूल्हा (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
23	दरी सभी साईज का (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
24	धोती	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
25	साड़ी	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
26	गंजी	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
27	लूंगी	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
28	गमछा	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
29	थाली (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
30	कटोरा (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
31	ग्लास (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्तें :–

1. निविदादाताओं अथवा संबंधित फर्म यह निविदा मात्र दर निर्धारण हेतु है, आवश्यक साहाय्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने पर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को 10,000=00 (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट समाहर्त्ता, लखीसराय के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखीसराय में भुगतेय संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में डालेंगे। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. निविदादाता को कहीं भी काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर प्रमाण पत्र, वैट निबंधन, आयकर निबंधन प्रमाण पत्र आदि के प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में सभी सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
7. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना निविदादाता लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वजन आदि की जॉच की जा सके।
8. स्वीकृति की गई निविदा के निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के अन्दर नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे एवं आवश्यकता के अनुसार लखीसराय जिले के सभी अंचल मुख्यालय तक पहुँचायेंगे। इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क या अन्य चार्जेज देय नहीं होगा।
9. स्वीकृति की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों का भण्डारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
10. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
11. स्वीकृति किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की ससमय आपूर्ति नहीं किए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे काली सूची में डाला जाएगा।
12. स्वीकृति निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं का स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति की जा सकती है।
13. स्वीकृति निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जाएगी।
14. बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला लखीसराय के बेवसाईट– http://lakhisarai.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।